संख्या-4/2016/ए-1-221/दस-2016-10(6)/90

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 09 मार्च, 2016

विषय- सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवा करते हुए सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा सुविधा दिये जाने के फलस्वरूप होने वाले चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-12/2015/ए-1-544/दस-2015-10(6)/90, दिनांक 31 जुलाई, 2015 व शासनादेश संख्या-15/2015/ए-1-959/दस-2015-10(6)/90, दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रश्नगत् शासनादेश में पेंशनर्स को कोषागार में उपस्थित होने में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु भुगतान की व्यवस्था इस आशय से निर्धारित की गयी थी कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के देयकों के भुगतान हेतु पेंशनर्स को कोषागार में उपस्थित न होना पड़े और धनराशि उनके खाते में स्वयमेव जमा हो जाये।

3- विभिन्न पेंशनरों से सम्बन्धित संघों व अन्य स्रोतों से शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि अभी भी पेंशनर्स को सेवानैवृत्तिक लाभ देयक प्रपत्र-106 पर हस्ताक्षर करने पर बाध्य किया जा रहा है और हस्ताक्षर के उपरान्त ही उनके चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति देयक का आहरण किया जा रहा है, जबकि सेवानैवृत्तिक लाभ देयक-प्रपत्र में यह प्रमाण-पत्र पुनर्नियुक्ति एवं पुनर्विवाह से सम्बन्धित है जिसकी प्रश्नगत् प्रकरण में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में लाया गया है कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के देयकों के भुगतान के सम्बन्ध में आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा अत्यन्त विलम्ब किया जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में निम्नवत् स्थिति स्पष्ट करने का मुझे निदेश हुआ है :-

(1) किसी भी परिस्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित भुगतानों हेतु पेंशनर के हस्ताक्षर सेवानैवृत्तिक लाभ देयक-प्रपत्र पर नहीं कराये जायेंगे। शासनादेश संख्या-

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

12/2015/ए-1-544/दस-2015-10(6)/90, दिनांक 31 जुलाई, 2015 सपठित शासनादेश संख्या-15/2015/ए-1-959/दस-2015-10(6)/90, दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा स्वयं ही नियमानुसार इन देयकों का भुगतान पेंशनर के बैंक खाते में, जिससे वह पेंशन आहरित करते हैं, सीधे इलेक्ट्रानिकली किया जायेगा।

(2) प्रत्येक आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सम्बन्धी देयकों की स्वीकृति हो जाने के उपरान्त उनका आहरण करके सम्बन्धित पेंशनर के बैंक खाते में धनराशि विलम्बतम् एक माह में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विलम्ब की दशा में आहरण-वितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाये।

4- उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2015 सपठित दिनांक 12 अक्टूबर, 2015 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सम्बन्धित द्वारा उपरोक्त स्पष्टीकरण के आलोक में सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

संख्या-4/2016/ए-1-221(1)/दस-2016-10(6)/90, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, राज्यपाल, उ0प्र0।
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0।
(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(5) महालेखाकार (आडिट)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(6) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेशों का तत्परता से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय ।
(8) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, 1018- जवाहर भवन, लखनऊ ।
(9) निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 इन्दिरा भवन, 8वाँ तल, लखनऊ ।
(10) भुगतान एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली ।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in